Prg 9/11/17

कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जालोर

क्रमांक/जिपजा/एमजीनरेगा/लेखा/संविदा भर्ती/2017–18/8296 दिनांक 8.11.17

: विज्ञप्ति :

शासन सचिव एवं आयुक्त ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342 जयपुर दिनांक 25.05.2017 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक व लेखा सहायक के रिक्त पदों को भरने के लिए निम्न प्रकार विज्ञप्ति एतद् द्वारा जारी की जाती है :

पदों का विवरण

क्रस.	पद का नाम	कुल पद	आरक्षित पद							
			सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		पिछडा वर्ग	
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	26	10	04	03	01	03	00	04	01
2	लेखा सहायक	21	09	03	03	00	02	00	03	01

कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद हेतु लम्बवत आरक्षण–भूतपूर्व सैनिक–3 पद, लेखा सहायक पद हेतु लम्बवत आरक्षण–भूतपूर्व सैनिक –2 पद

शैक्षणिक योग्यता : कनिष्ठ तकनीकी सहायक – सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमाधारी तथा कृषि इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक डिग्रीधारी।

लेखा सहायक – भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय अथवा उसके अधीन महाविधालय से बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियट(आई.पी.सी.)/आई.सी.डब्ल्यू.ए.(इन्टर)/कम्पनी सैकेट्री (इन्टर) ।

शर्ते :

1. आवेदन पत्र ए–4 साईज के कागज पर निर्धारित प्रारुप मे जिसमें आवेदक के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थाई पता, मोबाईल नम्बर, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यताओं के विवरण के साथ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिशः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जालोर के नाम से अंतिम तिथि दिनांक 30/11/17 को सायः 5.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन पत्र कार्यालय समय में एवं कार्य दिवसों को ही स्वीकार्य होगें।
2. आवेदन की सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण होनी आवश्यक है तथा तदनुसार सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न होने आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारुप व विज्ञप्ति वेबसाईट www.jalore.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
3. यह नियुक्तियां पूर्णतः संविदा आधारित होगी जिसमें यह नियुक्तियां ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के ओदश दिनांक 21.08.2014 तथा वित विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 1(4) एफडी/रुल/2011/पार्ट II जयपुर दिनांक 27.06.2014 के तहतः होगी।
4. कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों को सर्वप्रथम प्राप्त आवेदन पत्रों में से केवल सिविल अभियांत्रिकी मे डिग्री धारी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट से भरा जायेगा, सिविल डिग्रीधारी अभ्यर्थी वांछित संख्या में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सिविल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट से भरा जायेगा, तत्पश्चात भी यदि पद हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नही हुये तो कृषि अभियांत्रिकी में बी0ई0/बी0टेक0 डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से भरे जायेगें।
5. संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक को फिक्स मानदेय रु.13000/– मासिंक देय होगा जिसमें रु. 3000 ग्रामीण भत्ता एवं रु. 2000 यात्रा भत्ता शामिल है।
6. लेखा सहायकों के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों के आधार पर तैयार मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। इस हेतु निर्धारित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
7. लेखा सहायक का मानदेय रु. 8000/– प्रतिमाह देय है।
8. सेवाएं सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर किसी भी समय अभ्यर्थियो की सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। उक्त सेवाएं पूर्ण रुपेण अनुबंध पर आधारित है और अनुबंध अवधि की समाप्ति पर दिनांक 28.2.2018 को स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. इन पदों के आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय है।
   (1) राजस्थान राज्य के अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के पुरुष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
   (2) राजस्थान राज्य के अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।
   (3) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 50 वर्ष की होगी।
   (4) विधवाओं एवं तलाकशुदा महिला के मामलों में कोई आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नहीं होगी।
10. अतिंम रुप से नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक पद के लिये जिला स्तर से ही अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा अनुबंध करेगें, उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक को पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबंधित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा ताकि जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम संमन्वयक द्वारा आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में इन्हे नियोजित किया जा सके।

Sd/-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
एंव जिला कलेक्टर, जालोर

क्रमांक/जिपजा/एमजी नरेगा/लेखा/2017–18/8297-311 दिनांक 8.11.17

प्रतिलिपी :

1. अति0 आयुक्त (प्रथम) ईजीएस ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर।
2. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
3. उपनिदेशक, सूचना एवं प्रोधोगिकी एवं संचार विभाग जालोरं को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति मय आवेदन प्रपत्र सहित जालोर जिले की वेबसाईट www.jalore.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावे।
4. सम्पादक दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका जालोर को उक्त विज्ञप्ति को न्युनतम स्पेस में डी.पी.आर.की अनुमोदित दरों पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
5. नोटिस बॉर्ड कार्यालय जिला कलेक्टर जालोर/जिला सूचना केन्द्र जालोर एवं कार्यालय हाजा पर चस्पा हेतु।

अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जालोर

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर महात्मा गाधी नरेगा, जालोर

आवेदित पद का नाम ....

1. प्राथी का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जन्म तिथि :– ....
4. जाति :– ....
5. श्रेणी वर्ग (अन0जाति/अनु0जनजाति/ओबीसी/सामान्य) :– ....
....
6. लम्बवत आरक्षित श्रेणी (भूतपूर्व सैनिक/विकलांग) :– ....
7. लिंग :– ....
8. राष्ट्रीयता :– ....
9. स्थाई पता :– ....
....
....
10. वर्तमान पता :– ....
....
....
11. मोबाईल नम्बर/दूरभाष नम्बर :– ....
12. शैक्षणिक योग्यता

क्र.स.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/विश्वविधालय का नाम	वर्ष	पूर्णाक	प्राप्ताक	प्रतिशत

नोट – निम्न दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करे। (इन्टरनेट से जारी अंकतालिका/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें)

1. 10 वीं अंकतालिका प्रति (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)
2. 12 वीं अंकतालिका प्रति
3. स्नातक की अंकतालिका प्रति
4. मुल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
5. जाति प्रमाण पत्र की प्रति
6. आधार कार्ड की प्रति

–: घोषणा :–

मैं श्री /श्रीमती/कुमारी ....पुत्र / पुत्री/ पत्नी श्री ....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त दस्तावेज/जानकारी सही है और मैने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। सभी सूचनाएँ मेरे सर्व ज्ञान में सही है। यदि चयन हो जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जावे तो मेरी सेवायें समाप्त करते हुये मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर
मय नाम व पूर्ण पता